मानक शर्ते

डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी के लिए वन विभाग द्वारा मानक शर्ते तथा उनके मान्य होने का प्रमाण पत्र

शासनादेश संख्या (वन अनुभाग–3 शासन उ0प्र0 के पत्र संख्या 731/14–3–981/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उनके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति रक्षित/संरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उनके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरति विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगें और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आधारित एवं वन्य जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा को क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिचाई विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयेाग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा किसी विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न होने पर हस्तान्तरित भूमि एवं उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः (आटोमैटिक) बिना किसी प्रतिकर भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावतित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर ''एलाइनमेन्ट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0नि0वि के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी, को सम्बोधित पत्र सं0 608 सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। अश्व मार्ग वनाना वन

राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबंधक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105 / Varanasi-221105

मार्गो को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन निगम अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सकें और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक वृक्ष के स्थान पर दस वृक्षों का रोपण तथा दस वर्ष तक परिपोषण व्यय जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी0 एवं 0.3615 मी0 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है, इसी प्रकार वन वृक्षों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वनभूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने यथासम्भव पेड़ों का कटान नही किया जायेगा, खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा, यदि इन पर भी पेड़ों की संख्या सयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की संम्भावना होती है और नहर के दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो याचक अपने व्यय पर स्वम् करायेगा।

17. उपलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तो का कड़ाई से पालन कर लिया जाय अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

मैं , **डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, वाराणसी** का प्रतिनिधि , यह प्रमाणित करता हूं कि वन विभाग की उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्ते मान्य हैं तथा इनका पालन किया जायेगा।

20/04/18

(राहुल दीक्षित)
डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
वाराणसी।

राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105 /Varanasi-221105